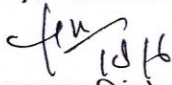
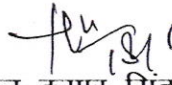


आदेश की क्रम सं. और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
18.06.2017	<u>BOARD OF REVENUE, BIHAR, PATNA.</u> Service Appeal Case No.- 38 of 2017. Dist.- Patna PRESENT :- Sunil Kumar Singh, I. A. S., Chairman-cum-Member Sri Subash Chandra - Petitioner/ Appellant Versus The State of Bihar - Opposite party <u>Appearance:</u> For the Appellant : For the OP : <u>आदेश।</u> प्रस्तुत अपील वाद संख्या- 38/2017 श्री सुभाष चन्द्र, तत्कालीन सहायक, पुलिस उप महानिरीक्षक का कार्यालय, सारण क्षेत्र, छपरा सम्प्रति सहायक, अल्प संख्यक कल्याण विभाग, बिहार पटना द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश ज्ञापांक- 13904 दिनांक- 03.11.2017 द्वारा एक वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध करने के अधिरोपित दंड करने के विरुद्ध दायर किया गया है। 2- पुलिस उप महानिरीक्षक का कार्यालय, सारण क्षेत्र, छपरा के पत्रांक- 1094 दिनांक- 12.08.2016 द्वारा श्री सुभाष चन्द्र, तत्कालीन सहायक, पुलिस उप महानिरीक्षक का कार्यालय, सारण क्षेत्र, छपरा सम्प्रति सहायक, अल्प संख्यक कल्याण विभाग, बिहार पटना के विरुद्ध घोर लापरवाही, कर्तव्यहीनता, अनुशासनहीनता एवं मनमानेपन से संबंधित आरोप प्रतिवेदित किया गया था। उक्त प्रतिवेदित आरोप एवं साक्ष्य अभिलेख की प्रति संलग्न करते हुए ज्ञापन सं0- 11959 दिनांक- 02.09.2016 द्वारा आरोपी श्री सुभाष चन्द्र से प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में बचाव अभिकथन की मांग की गयी। श्री चन्द्र का अभिकथन दिनांक- 24.11.2016 समर्पित किया गया। आरोपी श्री चन्द्र द्वारा बचाव अभिकथन में प्रतिवेदित आरोपों को अस्वीकार किया गया।	

आदेश की क्रम सं. और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	वर्णित स्थिति में अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा आरोपी श्री चन्द्र के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय आदेश सं०- 34 दिनांक- 02.01.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री गोरखनाथ, संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक- 140/डी० दिनांक- 11.09.2017 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में आरोपी श्री चन्द्र के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों को प्रमाणित पाया गया। जाँच प्रतिवेदन की प्रति विभागीय पत्रांक- 13014 दिनांक- 11.10.2017 द्वारा आरोपी श्री चन्द्र को उपलब्ध कराते हुए अभ्यावेदन की मांग की गयी। उक्त पत्र के आलोक में आरोपी का अभ्यावेदन दिनांक- 13.10.2017 प्राप्त हुआ। समर्पित अभ्यावेदन में आरोपी श्री चन्द्र द्वारा पुनः आरोपों को अस्वीकार किया गया। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन उक्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आरोपी श्री चन्द्र का अभ्यावेदन की समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा एक वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध करने का दंड देने का निर्णय लिया गया है। अपीलार्थी द्वारा बताया गया कि दिनांक- 08.02.2016 को लिखित आवेदन अवकाश हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक, सारण रेंज, छपरा को दिया। मौखिक रूप से भवदीय द्वारा छुट्टी पर जाने का आदेश दिए। चूँकि समयावधि कम रहने के कारण मैं लिखित छुट्टी का आदेश नहीं ले पाया। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 56वीं-53वीं मुख्य परीक्षा का आनलाईन फार्म भरने में आ रही दिक्कतों एवं आवश्यक कागजात यथा जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मुझे गृह जिला लखीसराय जाना जरूरी था। मैंने जानबूझकर कोई लापरवाही या कर्तव्यहीनता नहीं किया हूँ। अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बताया गया कि श्री सुभाष चन्द्र पूर्व में भी बिना सूचना/ छुट्टी के अपने कार्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे हैं। इसके अतिरिक्त अपने उच्चाधिकारी पर मौखिक आदेश से मुकरने का झुठा आरोप लगाना एक अनुशासित कर्मचारी के आचरण के प्रतिकूल है। सभी उपलब्ध तथ्यों पर सम्यक् रूप से विचार करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विभागीय आदेश सं०-13904	

आदेश की क्रम सं. और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	दिनांक- 03.11.2017 द्वारा श्री सुभाष चन्द्र की एक वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध करने का दंड देने का निर्णय लिया गया। सभी पक्षों को सुनने एवं अभिलेख के परीक्षण के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि श्री सुभाष चन्द के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित है। अतः सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश ज्ञापांक- 13904 दिनांक- 03.11.2017 में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील खारिज किया जाता है। सामान्य प्रशासन विभाग को आदेश की प्रति भेजें। लेखापित एवं संशोधित  (सुनिल कुमार सिंह) अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्वद, बिहार।  (सुनिल कुमार सिंह) अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्वद, बिहार।	